



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) / A3-114/2022

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक 20 सितम्बर, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 387/मान्यता/के०यू०/2019-20 दिनांक 31.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा, अल्मोड़ा को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा, अल्मोड़ा।	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र)	80 सीट प्रति विषय	2020-21

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- उक्त महाविद्यालय के मानक यथा भूमि, भवन, फ़ैकल्टी, पुस्तकें तथा फर्नीचर इत्यादि अपूर्ण हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को बी०ए० पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। क्या अपूर्ण मानकों के कारण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के हित प्रभावित नहीं होंगे? इस सम्बन्ध विस्तृत आख्या मा० कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- विश्वविद्यालय छात्र हित में उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के 02 माह के भीतर भूमि, भवन, फ़ैकल्टी, पुस्तकें तथा फर्नीचर आदि समस्त मानक U.G.C विनियम/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करायेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन/उच्च शिक्षा विभाग से कार्यवाही अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्या : 2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : **2337** (1)/जी०एस०(शिक्षा) / A3-114/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा (अल्मोड़ा)।
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव